

1	योजना का नाम	विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 50,000/- प्रति दम्पति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही विशेष योग्यजनों के परिचय सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था को आयोजन व्यय के रूप में रुपये 20,000/- स्वीकृत किये जाते हैं।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1997
4	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 2. प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो। 3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. संरक्षक/माता-पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक न हो।
6	देय सुविधाएं	प्रति दम्पति राशि रुपये 50,000/- की अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है, दोनों के विशेष योग्यजन होने पर भी अनुदान राशि अधिकतम 50,000 रुपये ही देय होगी।
7	आवेदन पत्र	जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
8	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
9	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
10	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● शादी का कार्ड ● निःशक्तता प्रमाण-पत्र ● वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र ● जन्म तिथि प्रमाण-पत्र ● आय का शपथ पत्र ● विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ● पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
11	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत
विशेष योग्यजनों की शादी हेतु अनुदान (सहायता)
प्राप्त करने का आवेदन-पत्र

वर वधु की
हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित फोटो

सेवा में,
उप निदेशक/सहायक निदेशक/
समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....

विषय :- विशेष योग्यजन विवाह हेतु सहायता (अनुदान) प्राप्त करना।

महोदय,
निवेदन है कि हम

	वर का विवरण	वधु का विवरण
1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. जाति
5. गांव/तहसील
6. आवेदक का आधार नं.
7. आवेदक का भामाशाह कार्ड नं
8. आवेदक का मोबाईल नं
9. आवेदक का बैंक विवरण		
बैंक का नाम :
अकाउंट नं :
IFSC कोड :

ने दिनांक को आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लिया है/करने का निश्चय किया है। विवाह तिथि को वर की आयु वर्ष एवं वधु की आयु वर्ष की है।

मैं/हम श्रेणी का विशेष योग्यजन है/हैं, जिसकी पुष्टि में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है। अतः हमें सहायता राशि स्वीकृत करने का श्रम करें।

भवदीय,

वर के हस्ताक्षर

वधु के हस्ताक्षर

संलग्न :- शादी का कार्ड
विकलांगता प्रमाण-पत्र
वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र
जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र।